


एतद्द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा आगामी विधान सभा सामान्य निर्वाचन-2022 एवं स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन क्षेत्र का निर्वाचन सम्पन्न कराये जाने हेतु तैयारियां करायी जा रही हैं। उक्त निर्वाचनों को सम्पन्न कराये जाने हेतु जनपद के विभिन्न विभागों/कार्यालयों में कार्यरत सरकारी/अर्द्धसरकारी/गैरसरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों की सेवाएं समय-समय पर विभिन्न कार्यों के लिए ली जाती हैं। भारत निर्वाचन आयोग ने प्रश्नगत निर्वाचन को सम्पन्न कराने हेतु लगाये जाने वाले मतदान कार्मिकों सहित निर्वाचन कार्य से जुड़े सभी सरकारी, गैर सरकारी व्यक्तियों की सेवाएं लिए जाने से पूर्व अपेक्षा की गयी है कि उनका डबल डोज वैक्सीनेशन पूर्ण हो जाना चाहिए।

अतः प्रेस विज्ञापित के माध्यम से जनपद में अवस्थित समस्त सरकारी, अर्द्धसरकारी, गैर सरकारी कार्यालयों के कार्यालयाध्यक्षों को निर्देशित किया जाता है कि कृपया अपने कार्यालय एवं आपके अधीनस्थ जनपद के नगरीय एवं ग्रामीण कार्यालयों में कार्यरत समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों को 30 नवम्बर, 2021 तक डबल डोज वैक्सीनेशन पूर्ण कराना सुनिश्चित करें तथा आगामी विधान सभा निर्वाचन हेतु कार्मिकों की सूची के साथ इस आशय का प्रमाण-पत्र भी संलग्न किया जाय कि उनके अधीनस्थ कार्यरत समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों का डबल डोज वैक्सीनेशन का कार्य पूर्ण कर लिया गया है।

(राजेश कुमार)
जिलाधिकारी/
जिला निर्वाचन अधिकारी
आजमगढ़।

प्रतिलिपि:-

1. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, आजमगढ़।
2. मुख्य चिकित्साधिकारी, आजमगढ़ को वैक्सीनेशन की उपलब्धता सुनिश्चित कराने हेतु।
3. जिला सूचना अधिकारी, आजमगढ़ को 20 अतिरिक्त प्रतियों सहित जनपद में पढ़े जाने वाले सभी समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशन हेतु।
4. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, आजमगढ़ को जनपद का वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु।


जिलाधिकारी/
जिला निर्वाचन अधिकारी
आजमगढ़।